P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-1* April - 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

कानून और मानवाधिकार

रूपा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग,
बाबू शोभाराम शासकीय कला महाविद्यालय, अलवर,
राजस्थान

सारांश

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कानून की परिभाषा इस प्रकार दी गई है– (A rule or system of rules recognized by a country or community as refulating the actions of its member and enforce by imposing of penalties) व्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रमुख मानवाधिकार है किसी भी नागरिक को बेवजह गिरफ्तार करना, कानूनी मदद से बेदखल करना, कानूनी न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना मानवाधिकार हनन है। इस दिशा में क्या आचार–संहिता है और मानवाधिकार उसके पालन में कितनी जुगत (Approach) लगाता है यह जानना आवश्यक है।

मुख्य शब्द : गिरफ्तार, कानून की शक्ति, न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना, पूजा–पाठ की सुविधा, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय कानून।

प्रस्तावना

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कानून की परिभाषा इस प्रकार दी गई है–

'A rule or system of rules recognized by a country or community as refulating the actions of its member and enforce by imposing of penalties.'

अर्थात् अधिकार या मानवाधिकारों में जो शक्ति समाहित है, वह कानून की शक्ति है। ये कानून किसी भी रूप में हो सकते हैं। पहले यह अलिखित और परम्परा या रीति–रिवाजों के रूप में थे, फिर लिखित हुए और अब राष्ट्रीय सरहदों के पार अर्न्तराष्ट्रीय रूप में हैं। अतः यह कहना गलत नहीं कि अधिकार खुद कानून है क्योंकि उन्हें प्रशासन सरकार और समाज से मान्यता मिली होती है। कानून दोषी और निर्दोष का फैसला करता है, निर्दोष के अधिकारों की रक्षा करता है और दोषी को सचेत करता है या सजा देता है।

कानूनी मानवाधिकार क्या है

व्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रमुख मानवाधिकार है। किसी भी नागरिक को बेवजह गिरफ्तार करना, कानूनी मदद से बेदखल करना, न्यायपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना आदि वे मानवाधिकार हनन है जिनका सम्बन्ध कैदियों से है। भारत में किसी भी अपराधी या संदेही व्यक्ति को वारंट या बिना वारंट के कैद किया जा सकता है लेकिन संविधान की धारा 221 (1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 167 के तहत हर एक ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह यह जान सके कि उसे किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है।

गैर–कानूनी तलाशी और जमानत पर छूटने का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अर्न्तराष्ट्रीय और भारतीय कानून, कैद के दौरान मारपीट, दुर्व्यवहार, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना आदि की इजाजत नहीं देते। हर कैदी को जेल में कुछ बुनियादी सुविधायें मिलने का अधिकार और कानूनी व्यवस्था है। इस का पालन सही तरीके से हो सके इसके लिए चेष्टा करते हुए कानून और व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं और कार्मिकों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 17 दिसम्बर, 1979 को एक आदर्श आचार–संहिता प्रस्तुत की।

आचार–संहिता की आवश्यकता

1955 की संयुक्त राष्ट्रसंघ की पहली कांग्रेस में अपराधों की रोकथाम और कैदियों से मानवीय व्यवहार सम्बन्धी न्यूनतम नियमों को पारित किया गया। इन्हें 13 मई, 1977 को आर्थिक और सामाजिक परिषद् ने अनुमोदित किया। इन नियमों के जो बुनियादी सिद्धांत माने गये उनमें धर्म, जाति, भाषा, रंग और क्षेत्र आदि के आधार पर कैदियों में भेदभाव न करना और अलग–अलग श्रेणियों के कैदियों के लिए अलग रहने की व्यवस्था शामिल है। कैदियों के रहने, खाने, मनोरंजन, व्यवसाय और चिकित्सा आदि की न्यूनतम तर्क–संगत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कैदियों के धर्मानुसार उन्हें पूजा–पाठ की सुविधा मिल सके इसका भी प्रावधान किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता

कानूनी पेचिदगियों को देखते हुए एक अर्न्तराष्ट्रीय कानून बनाने की परिकल्पना की गई और इसको महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा ने 1947 में अर्न्तराष्ट्रीय कानून कमीशन बनाया जिसमें 34 राष्ट्र थे जो आमसभा द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते रहे। विशेष बात तो यह रही कि इसके सदस्य किसी राष्ट्र विशेष के प्रतिनिधि नहीं होते। इसी अर्न्तराष्ट्रीय कानून बनाने की पहल से यह भी विचार बना कि एक अर्न्तराष्ट्रीय न्यायालय भी बने।

अर्न्तराष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसी प्रमुख और स्थायी संस्था बनी, जिसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य स्वतः बना दिये जाते हैं। सुरक्षा परिषद् और आम सभा अगर चाहे तो विवादित मसलों पर इस न्यायालय की राय ले सकती है या किसी अन्य विषय पर कानूनी सलाह मांग सकती है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग भी अर्न्तराष्ट्रीय न्यायालय से ऐसी ही सलाह के हकदार है।

अर्न्तराष्ट्रीय न्यायालय की व्यापक अधिकार परिधि में निम्नलिखित विषय आते हैं–

1. अर्न्तराष्ट्रीय कन्वेंशन (International convention) ।
2. परम्परागत अर्न्तराष्ट्रीय परम्पराएं या प्रथाएं (Traditional International Customs and Tradition) ।
3. आम कानूनी सिद्धांत जो राष्ट्रों द्वारा मान्य हो ।
4. राष्ट्र/राष्ट्रों के कानूनी फैसले और शिक्षा।

यह कोई 15 न्यायाधीशों की एक ऐसी संस्था है जिसे आमसभा द्वारा चुना जाता है। सुरक्षा परिषद् स्वतंत्र रूप से इसमें अपना मतदान करती है। न्यायाधीशों के चुनाव में उनकी काबिलियत को प्राथमिकता दी जाती है न कि उनकी राष्ट्रीयता के फिर भी इस न्यायालय में दो न्यायाधीष एक राष्ट्र के नहीं हो सकते। इसके न्यायाधीष 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं ओर उनके दोबारा चुने जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र का पहला अनुच्छेद ही सभी अर्न्तराष्ट्रीय झगड़ो को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का काम करता है। अगर इस अनुच्छेद 33 और 13 के साथ पढ़े तो इसमें पंचायती निर्णय (Arbitration) और कानूनी समाधानों के साथ–साथ ऐसी व्यवस्था है जिसमें अर्न्तराष्ट्रीय कानून को प्रोत्साहन और तरक्की मिले।

अर्न्तराष्ट्रीय न्यायालय ऐसी स्थायी न्यायिक व्यवस्था सिद्ध हुई जहां अर्न्तराष्ट्रीय सीमाओं सम्बन्धी झगड़ो, समुद्री सीमा का सीमांकन, जंगी कैदियों के साथ बर्ताव, दूतावास कर्मचारियों की शिकायते इत्यादि केस कोर्ट में आये, फैसले हुए, माने गये और दोनों पार्टियां संतुष्ट होकर लौटी।

अहिंसक तरीको से बिना युद्ध या दबाव के अर्न्तराष्ट्रीय मसलों को सुलझाना, युद्धबंदी या अन्य कैदियों के अधिकारों की रक्षा एवं सुरक्षा, मसलों की जांच – पड़ताल कर सच सामने लाना और आतंकवाद सम्बन्धी मामलों में जो योगदान इस न्यायालय का रहा है वह अर्न्तराष्ट्रीय कानून के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कई अर्न्तराष्ट्रीय गोष्ठियों में कानून के ड्रॉफ्ट, सुरक्षा परिषद् और आमसभा में विचार–विमर्श हेतु महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे, विभिन्न कमेटियों का गठन इत्यादि ऐसे पहल है जिनसे बड़ी संकारात्मक पहल हुई है। इसका एक और फायदा यह भी हो रहा है कि जहां यह एक ओर भाईचारा, सहयोग बढ़ावा दे रहा है वहीं किसी भी आतंकवादी कार्यवाही की एक विशाल समर्थन प्राप्त न्यायिक संस्था द्वारा सामूहिक भर्त्सना भी की जा रही है। अन्य सदस्य राष्ट्रों को इससे निपटने के उपाय सुझाने और उन्हें इन मसलों पर राष्ट्रीय कानून बनाने के बारे में भी इस अर्न्तराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा पर्याप्त कानूनी सलाह दी जाती है।

उद्देश्य

अधिकार या मानवाधिकार में जो शक्ति समाहित है, वह कानून की शक्ति है। यह कानून किसी भी रूप में हो सकते हैं। पहले यह अलिखित और परम्परा या रीति–रिवाजों के रूप में थे फिर लिखित हुए और अब राष्ट्रीय सरहदों के पार अन्तर्राष्ट्रीय रूप में हैं। चूंकि व्यक्ति मात्र की स्वतंत्रता प्रमुख मानवाधिकार अतः व्यक्ति की गरिमा और जीवन की रक्षा करने वाले कानून को उसी गरिमा के साथ निर्वाह करना मानवाधिकार के तहत आता है। कैदी भी मनुष्य अतः उसकी बुनियादी मानवीय आवष्यकताओं की पूर्ति मानवाधिकार के तहत आनी चाहिए।

मानवता पर इसका प्रभाव

अंत में इतना कहना आवष्यक प्रतीत होता है कि महज कानून या अर्न्तराष्ट्रीय कानूनों का होना विश्व–शांति और मानवाधिकारों के सम्मान की गांरटी नहीं है। कोई भी कानून तभी हमारी मदद कर सकता है जब मानवधिकारों के हनन की रोकथाम के लिए एक ऐसे अर्न्तराष्ट्रीय वातावरण ओर समाज को विकसित किया जाये जिसमें भावनात्मक रूप से मनुष्य–मनुष्य के साथ जुड़े। एक गरीब की गरीबी सबको दुःखी करे, एक बाल मजदूर के पैरों में पड़े छालों की जलन हर पैर महसूस करे। एक महिला का बलात्कार सारी मानव–जाति के रोष का कारण हो और एक निर्दोष की मौत सारे विष्व के मातम का कारण हो। जिस दिन अपने सीमित स्वार्थों से उपर उठकर आदमी, आदमी और उसके सम्मान के लिए जीना और संघर्ष करना सीख लेगा तब या तो इन कानूनों की जरूरत ही नहीं होगी या फिर उनकी सार्थकता सिद्ध हो जायेगी।

निष्कर्ष

अन्त में, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मानव गरिमा का अधिकार और मूलभूत आवष्यकताओं के अधिकार के लिए प्रत्येक मनुष्य कानून तक पहुँच का अधिकार रखता है। सभी प्राणियों को मनमानी के खिलाफ और अमानुषिक व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा–पूरा अधिकार होना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मानवाधिकार–अर्न्तराष्ट्रीय संगठन एवं कानून (Human Rights, International Organization and Law) डॉ. वाइ.एस. शर्मा तथा डॉ. विमलेन्दु तायल, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा.लि. जयपुर–2008 (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खंड/तीनो खंड) ।*

2. *मानवाधिकार तथा भारतीय संविधान संरक्षण एवं विश्लेषण–प्रदीप त्रिपाठी–राधा पब्लिकेशन्स, दिल्ली–2002 ।*
3. *मानवाधिकार और कर्तव्य–ललित चतुर्वेदी, रितु पब्लिकेशंस, जयपुर, 2001 ।*
4. *संविधान और महिला अधिकार, डॉ. मधुसूदन त्रिपाठी, महेन्द्र बुक कम्पनी, गुडगांव हरियाणा–2015 ।*
5. *Human Rights and Law-Varun Naik and Mukesh Sahni, Recent Publication Corporation, New Delhi-2011 ।*
6. *Challenges in Human Rights-A social work Perspective edited by Elisabeth Richard, Rawal publication, Jaipur-2001 .*